फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

भंवराराम बनाम धनाराम वगैरा

फ़ैसला मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 337/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा केसुम्बला फांटा पटवार मण्डल केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 101, 324/100 रकबा क्रमशः 26.1427, 5.8275 हेक्टेयर में आई हुई है। विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप करने, बेचान करने व हस्तान्तरण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद की बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 29.11.21 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा केसुम्बला फांटा पटवार मण्डल केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 101, 324/100 रकबा क्रमशः 26.1427, 5.8275 हेक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का बेचान एवं हस्तान्तरण करे। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 29.11.21 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/11/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 15/12/21 को पेश हो।	

06/12/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल
जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका है इसलिए
आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः
प्रार्थी के उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज
पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु